अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–न0नि0–50–12 / 2023 3699

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 27.10.23

विषय :– **नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023: फोटोयुक्त मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में।**

प्रसंगः– **इस कार्यालय का पत्रांक–3653 दिनांक–18.10.2023**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना, कैमूर, नालन्दा, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया को दिनांक–25.10.2023 तक रिक्ति की सूचना आयोग को भेजते हुए प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

विदित हो कि उपर वर्णित जिला के अलावा भी किसी जिले में पद रिक्त हुए हो, तो दिनांक–15.10.2023 तक की रिक्ति तीन दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराते हुए पत्र के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के निर्माण की तैयारी प्रारंभ कर दी जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
27/x/23
सचिव

(199)

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या–न0नि0–50–12 / 2023..3653
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
पटना, कैमूर, नालन्दा, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण,
प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया।

पटना, दिनांक– 18.10.2023

विषय :– नगरपालिका उप–निर्वाचन, 2023; फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

प्रसंग :– आयोग का पत्रांक–2970 दिनांक–16.08.2023 एवं पत्रांक 3136 दिनांक 01.09.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रांक 2970 दिनांक 16.08.2023 द्वारा नगरपालिका में कतिपय कारणों यथा–मृत्यु, त्यागपत्र एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 यथा संशोधित की धारा–18(1) के तहत निरर्हित किये जाने से रिक्त हुए पदों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से मतदाता सूची तैयार करने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिशा निदेश कि आलोक में मतदाता सूची की तैयारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न किये जा रहे थे। परन्तु आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 3137 दिनाक 01.09.2023 द्वारा मतदाता सूची की तैयारी संबंधी सभी क्रियाकलाप को अगले आदेश तक स्थगित रखने तथा अबतक किये गये कार्य से संबंधित सभी कागजात को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया था।

आयोग द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मतदाता सूची की तैयारी हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश संसूचित किया जाता है:–

1. जिलों से प्राप्त नगरपालिकाओं के रिक्त पदों से संबंधित विवरणी को समेकित कर पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। सर्वप्रथम रिक्त पदों की विवरण का मिलान कर ली जाय एवं इसके अतिरिक्त भी दिनांक 15.10.2023 तक यदि कोई पद रिक्त हुये हों तो उसे भी सम्मिलित कर ली जाय एवं तत्संबंधी सम्मिलित किये गये रिक्ति की सूचना **दिनांक 25.10.2023 तक** आयोग को भेजा जाना सुनिश्चित की जाय।

2.पूर्व से तैयार किये जा रहे रिक्त पदों में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची संबंधी सुरक्षित रखे गये कागजात को पुनः भली–भाँति जाँच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसका निराकरण अभी ही कर ली जाय।

ध्यान रहे कि जिस रिक्त पद पर निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन नही होगा, उस रिक्त पद पर उप–निर्वाचन नहीं हो सकेगा।

3. मतदाता सूची की तैयारी केवल उन्ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए की जाएगी, जहाँ पद रिक्त है।

4. इस प्रकार के रिक्ति के विरूद्ध नगरपालिका उप निर्वाचन कराये जाने के निमित्त **01.01.2023** की अर्हत्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। इस हेतु नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन, 2023 के अवसर पर मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित आयोग के पत्रांक–787 दिनांक–06.03.2023 एवं पत्रांक–788 दिनांक–06.03.2023 की कंडिका–02 से 10 तक में दिये गये विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में पत्र के साथ **संलग्न कार्यक्रम** के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के प्रचलित मतदाता सूची से की जाएगी (पत्र संलग्न) ।

18.10.23

5. मतदाता सूची में त्रुटि के कारण निर्वाचन रद्द किये गये नगर निगम–सीतामढ़ी के तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाइजिंग अथॉरिटी को मतदाता सूची निर्माण एवं निर्वाचन कार्य से अलग रखने का निदेश संसूचित किया जाता है। उनके स्थान पर समकक्ष पदाधिकारी को मतदाता सूची निर्माण एवं निर्वाचन कार्य की जिम्मेदारी दी जाए।

अतः अनुरोध है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार रिक्त पदों पर निर्वाचन कराये जाने हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने की कृपा की जाए एवं तत्संबंधी कार्यक्रम को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना सर्वसाधारण हेतू प्रकाशित करा दी जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/10/23

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–12 / 2023...3653 पटना, दिनांक–18.10.2023

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग को बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

18/10/23

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–12 / 2023...3653 पटना, दिनांक–18.10.2023

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/23

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–12 / 2023...3653 पटना, दिनांक–18.10.2023

प्रतिलिपिः– सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/23

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–12 / 2023...3653 पटना, दिनांक–18.10.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/23

सचिव।

नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023

मतदाता सूची की तैयारी संबंधी अद्यतन कार्यक्रम

(क)	अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर बिहार विधान सभा का अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का वार्ड-वार विखंडन (प्रपत्र - क में)	–	30.10.2023 से 03.11.2023 तक
(ख)	प्रपत्र-क के अनुसार डाटावेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट प्रति में तैयार	–	04.11.2023 से 06.11.2023
(ग)	प्रारूप मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार करना एवं प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण	–	07.11.2023 से 09.11.2023
(घ)	मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन	–	10.11.2023 को
(ङ)	प्रारूप प्रकाशन एवं दावा/ आपत्ति प्राप्त की अवधि	–	10.11.2023 से 23.11.2023
(च)	प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण एवं तदनुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि	–	13.11.2023 से 30.11.2023
(छ)	मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार करना एवं अन्तिम मतदाता सूची का मुद्रण	–	01.12.2023 से 04.12.2023
(झ)	मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन	–	05.12.2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

सं0सं0–न0नि0–50–12/2023/ 787

प्रेषकः–

श्री मुकेश कुमार सिन्हा
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–
सह–जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांकः– 6 मार्च, 2023

विषयः– मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र की स्थापना के अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशाानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग के आदेश ज्ञापांक–314, दिनांक–28.01.2022 द्वारा प्रत्येक जिला के लिए उस जिला के जिलादंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया गया है।

आयोग के ज्ञापांक–1560, दिनांक–23.04.2022 से राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारियों को उस क्षेत्र में पड़ने वाले नगरनिकायों या उसके अंश के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा आयोग के पत्रांक–1561, दिनांक–23.04.2022 द्वारा रिवाईजिंग अथॉरिटी के नियुक्ति हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न) ।

ज्ञातव्य हो कि 31 नगरपालिकाओं के निर्वाचन तथा मतदान प्रत्यादिष्ट एवं त्याग–पत्र के कारण रिक्त पदों के निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

पिछले चुनाव में यह पाया गया कि कतिपय नगरपालिका में मतदाता सूची का निर्माण के क्रम में विखण्डीकरण एवं दावा–आपत्ति के निष्पादन में पर्याप्त अनुश्रवण नहीं होने के कारण कुछ त्रुटियाँ परिलक्षित हुई, जैसेः–

4

- मतदाता विखण्डीकरण के क्रम में प्रारंभिक मतदाता सूची बनाते समय संबंधित पार्ट के विखण्डीकरण का डाटा फाईनालाईज नहीं किया गया, जिसके कारण संबंधित मतदाता मतदातासूची में सम्मिलित नहीं हो सके।
- एक ही परिवार/एक ही गृह संख्या में रह रहे लागों का नाम अलग–अलग वार्ड में पाया गया।
- बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम उनके निवास वाले वार्ड से हटाकर अन्यत्र वार्ड में रखा गया।
- कुछ नगर निकायों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया।
- प्राप्त हुए दावा आपत्ति/परिवाद के निष्पादन में परिवादी को नोटिस नहीं दिया गया एवं उनके अनुपस्थिति में ही सुनवाई की गई, आदि ।

इस प्रकार की गलती के चलते बहुत से मामले माननीय न्यायालय के समक्ष वाद के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिससे आयोग को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

अतएव मतदाता सूची के निर्माण एवं मतदान केन्द्र के स्थापना के व्यापक अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो मतदाता सूची के विखण्डन, मतदान केन्द्र की स्थापना, दावा–आपत्ति एवं जन शिकायत आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन, संबंधित नगरपालिका के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित होने का प्रमाण–पत्र का अनुश्रवण करे तथा आयोग से समन्वय स्थापित करे। आयोग का यह प्रयास है कि ऐसी अशुद्धियाँ नहीं दुहराई जाए। त्रुटि प्रकाश में आने पर इसे मानवीय भूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी ।

उक्त संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(Z)(A) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली–2007 (यथा संशोधित) के नियम–92 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित करने का निदेश दिया जाता है।

अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित करने की कृपा की जाय तथा नोडल पदाधिकारी के नाम, पदनाम एवं कार्यालय पता मोबाईल नंबर सहित आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

विश्वासभाजन

06/01/2021

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

अधिसूचना संख्या - न.नि. 50-14/2022 - **1560** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एतद् द्वारा नगरपालिकाओं, यथा - नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के आसन्न निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली सभी नगरपालिकाओं या उसके भाग के लिए वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1560** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1560** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन किसी नगरपालिका में प्रशासक के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हों तो उन्हें प्रशासक पद से मुक्त कर किन्हीं अन्य पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाय तथा अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर से तैयार कर अपने क्षेत्राधीन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1560** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506644, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom
D:\pm5\NGR_22.pmd\54

अत्यावश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न.नि. 50-14/2022 - 1561

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 23.04.2022

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 : मतदाता सूची के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग : आयोग की अधिसूचना संख्या 1560 दिनांक 23.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग की प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा राज्य में पदस्थापित अनुमंडल दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली सभी नगरपालिकाओं यथा - नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 11 अन्तर्गत मतदाता सूची में किसी नाम की प्रविष्टि करने से संबंधित दावे अथवा किसी नाम की प्रविष्टि से संबंधित आपत्ति के निष्पादन के उद्देश्य से **निबंधन पदाधिकारी द्वारा रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है।**

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में निम्न निदेश दिया जाता है :-

(i) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को रिवाईज़िंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली किसी नगरपालिका के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति की जा सकती है।

(iii) **नगरपालिका का कोई भी अधिकारी या सेवक रिवाईजिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निबंधन पदाधिकारी एवं रिभाईजिंग अथॉरिटी के इस नियमावली के द्वारा अधिरोपित उनके कर्त्व्यों के निष्पादन हेतु सभी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।**

(iv) रिभाईजिंग अथॉरिटी इस नियमावली के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से उसकी शक्ति अथवा अधिकार में रखे गये सभी संगत अथवा आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों को प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा।

4. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही संसूचित किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति हेतु पदाधिकारियों की सूची अभी से तैयार कर जिला स्तर पर रखी जाये, ताकि आयोग से मतदाता सूची की तैयारी हेतु कार्यक्रम प्राप्त होते ही उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश उनके स्तर से बिना विलम्ब के निकाला जा सके।

विश्वासभाजन,

23/4/22

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

D:\pm5\NGR_22.pmd\55

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-14/2022 - **1561** पटना, दिनांक - **23.04.2022**

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग . बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

√ (13)

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - न0नि0 50-02/2022 - 315 पटना, दिनांक - 28.1.22

आदेश

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 एवं आम निर्वाचन के पश्चात नगरपालिकाओं में कतिपय कारणों से होने वाले पार्षदों के रिक्त पदों के निमित्त होने वाले उप निर्वाचन के लिए **राज्य के प्रत्येक जिला के लिए उस जिला के जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।**

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

28/1/22

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-02/2022 - 315 पटना, दिनांक - 28.1.22

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/22

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

II

अत्यावश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्रांक - न0नि0 50-12/2023 - 788

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

पटना, दिनांक - 16.3.23

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2023 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 31 नगरपालिका के निर्वाचन तथा मतदान प्रत्यादिष्ट एवं त्यागपत्र के कारण रिक्त पदों के निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है, जिसके लिए मतदाता सूची तैयार की जानी है। मतदाता सूची की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सारणी नगरपालिका की सूची के साथ संलग्न है।

विदित हो कि 24 नगरपालिकाओं के मतदाता सूची निर्माण का कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिया गया था, परन्तु कतिपय कारणवश निर्वाचन नहीं कराया जा सका। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली से मतदाता सूची तैयार किया जाना है। बिहार विधान सभा का दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रकाशन 27.01.2023 को किये जाने के उपरांत निर्वाचन विभाग के पत्रांक 727 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा डाटा प्राप्त हो चुका है, जिसके आधार पर ही मतदाता सूची तैयार कि जाएगी। उक्त 24 नगरपालिकाओं के अतिरिक्त 7 नगरपालिका जिनका कार्यकाल जून 2023 तक समाप्त हो रहें है तथा कई नगरपालिकाओं में विभिन्न कारणों यथा - प्रत्यादिष्ट, मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण रिक्त है, में अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर तैयार की जाएगी।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **भाग II के नियम 3 से 28 तक** में नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा 451** में नगरपालिका के निर्वाचक को परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नवत उद्धृत किया जाता है :-

> "**451. नगरपालिका का निर्वाचक** – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से संबंधित हैं, में जिन व्यक्तियों के नाम – निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित नगरपालिका निर्वाचन के निर्वाचक होंगे ;

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

D:\Yogesh jee\Matdata suchi

16.3.23

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो नगरपालिका से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्त्तन करने का निदेश दे सकेगा, जो कि वह उचित समझे ;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात निर्वाचन नामावली में ऐसा कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।"

मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न सभी पदाधिकारी नियमावली एवं अधिनियम के उक्त प्रावधानों का भलीभाँति अध्ययन अवश्य कर लें। इससे गलती की संभावना नहीं रहेगी।

3. विदित हो कि मतदाता सूची की तैयारी का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जायेगा। अतः कंडिका 2 में विर्णित उक्त प्रावधानों के अधीन नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आयोग का निम्नांकित दिशा-निर्देश संसूचित किया जाता है :-

(क) बिहार नगरपालिका निर्वाचन के **नियम 5** के प्रावधानों के तहत नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त राज्य के प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रों के लिए वार्डवार मतदाता सूची की तैयारी हेतु आयोग के अधिसूचना संसूचित **ज्ञापांक 1560 दिनांक 23.04.2022** (छाया प्रति संलग्न) से राज्य के अनुमंडल पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले नगर निकायों या उसके अंश के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये निबंधन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे। मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने के लिए अन्ततः निबंधन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम 92** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निदेश दिया जाता है कि नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त वार्डवार मतदाता सूची को तैयार किये जाने के क्रम में **प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** निबंधन पदाधिकारी के कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण करेंगे ताकि ससमय त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम 11** के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग के **पत्रांक 1561 दिनांक 23.04.2022** (छाया प्रति संलग्न) से नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची की तैयारी में निबंधन पदाधिकारी की मदद हेतु रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। मतदाता सूची की तैयारी हेतु निबंधक पदाधिकारी आवश्यकतानुसार रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति कर सकेंगे, **किन्तु मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने की पूरी जिम्मेवारी निबंधन पदाधिकारी की मानी जायेगी।**

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि नगर निकाय के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को रिवाईजिंग अथॉरिटी के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी या रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा माँग किये जाने पर संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के बारे में नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध सभी आवश्यक अभिलेख आदि निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईज़िंग अथॉरिटी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उन्हें उनका दायित्व सही तरीके से निभाने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) राज्य विधान सभा क्षेत्रों के लिए वर्त्तमान में प्रवृत्त मतदाता सूची अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर तैयार की गयी है। नगरपालिका अधिनियम की **धारा 451** एवं नियमावली के **नियम 3 से 28** के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले उन व्यक्तियों का नाम जो मतदाता के रूप में अंकित हैं, उन्हीं व्यक्तियों का नाम नगर निकाय हेतु तैयार की जाने वाली प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। जिन व्यक्तियों के नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, उनके दावा पर जाँचोपरान्त विचार किया जायेगा।

(ग) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम** 4 के प्रावधान के अनुसार नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड के लिए अलग-अलग मतदाता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची में नाम आदि **नियम-8** के अनुसार हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई प्रारम्भिक मतदाता सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में माना जायेगा। इस प्रारूप मतदाता सूची में संबंधित वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची (दिनांक 27.01.2023 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची) के मतदाताओं का नाम, पता, आदि अंकित रहेगा।

(घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची मतदानकेन्द्र-वार तैयार की जाती है, जबकि नगर निकाय के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची वार्ड-वार तैयार की जानी है। यह संभव है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाता संबंधित नगर निकाय के एक ही वार्ड विशेष के न होकर एक से अधिक वार्ड के मतदाता हों। इसी प्रकार नगर निकाय की सीमा के अन्दर या बाहर भी कुछ ऐसे मतदान केन्द्र हो सकते हैं, जिनके मतदाताओं का कुछ अंश नगर निकाय क्षेत्र के किसी एक या एक से अधिक वार्ड का हो, जबकि दूसरा अंश संबंधित नगर निकाय की सीमा के बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र अथवा किसी दूसरे नगर निकाय क्षेत्र का हो। ऐसी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची का सिर्फ उतना अंश, जो संबंधित नगर निकाय क्षेत्र से संबंधित है, को ही उक्त नगर निकाय के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का आधार माना जायेगा।

वार्डवार मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में निबंधन पदाधिकारी द्वारा मुख्यतः निम्न विन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

(i) अर्हता तिथि **01.01.2023** के आधार पर तैयार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में जिनका नाम अंकित है, सिर्फ उनका ही नाम नगर निकाय के चुनाव हेतु वार्ड-वार प्रारुप मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा;

(ii) नगर निकाय के किसी वार्ड विशेष की प्रारूप मतदाता सूची में उसी मतदाता को शामिल किया जायेगा जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार नगर निकाय के संबंधित वार्ड विशेष का निवासी हो;

(iii) राज्य के प्रत्येक नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड की चौहद्दी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है एवं यह प्रत्येक जिला में संधारित है। मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न कर्मी सर्वप्रथम उस वार्ड के लिए निर्धारित चौहद्दी एवं पिछले आम चुनाव से उस वार्ड (केवल पूर्व से यथास्थिति वाले नगरपालिका) के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र का स्थल निरीक्षण अवश्य कर लेंगे।

(iv) वार्ड विखण्डीकरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार/एक ही गृह संख्या में रहने वाले लोग का नाम एक ही वार्ड में रखा जाए।

(v) विखण्डीकरण के क्रम में एक विधान सभा क्षेत्र के मतदाता को वार्डे की मतदाता सूची में शामिल करने के पश्चात शेष मतदाता की विवरणी का मिलान कर लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता का नाम छूट नहीं जाए।

(vi) प्रारूप प्रकाशन के पूर्व Software में प्रविष्टि उपरांत अवश्य Finalize निश्चित रूप से कर ली जाए।

स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जानी है एवं इस क्रम में हर संभव यह प्रयास किया जाना है कि एक वार्ड का मतदान केन्द्र उसी वार्ड में स्थापित हो सके। किसी भी परिस्थिति में एक वार्ड के मतदाता को दूसरे वार्ड के मतदान केन्द्र से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। ऐसी गलती से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो जायेगी। पिछले नगरपालिका आम निर्वाचन में कुछ जिलों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो जाँच में सही पायी गई और आयोग को मतदाता सूची में इस तरह की गलतियों को सुधार करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। आयोग का यह प्रयास है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 में ऐसी अशुद्धियाँ नहीं दुहराई जाय। अतः प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी -सह-निबंधन पदाधिकारी (नगरपालिका) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती पुनः नहीं हो। **अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी गलती पाये जाने पर इसे मानवीय भूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निबंधन पदाधिकारी एवं संलग्न अन्य कर्मियों पर आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।**

(iv) नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 के लिए अर्हता तिथि **01.01.2023** के आलोक में प्रवृत्त मतदाता सूची के आधार पर वार्डों के मतदाता सूची का निर्माण किया जायेगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा 451** के अनुसार राज्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई मतदाता सूची पर ही वार्डवार मतदाता सूची के विखण्डीकरण का कार्य किया जाना है। विखण्डीकरण के पश्चात वार्डवार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावा/ आपत्ति के निष्पादन के उपरान्त पूरक सूची तैयार की जायेगी, जो मूल मतदाता सूची के साथ **अनुपूरक-1** के रूप में अंतिम मतदाता सूची के रूप में प्रकाशित की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि प्रारूप प्रकाशन के रूप में प्रकाशित की गई सूची ही मूल मतदाता सूची रहेगी तथा इस पर प्राप्त दावा/ आपत्ति के निष्पादन के पश्चात् तैयार **पूरक सूची अनुपूरक-1** के रूप में इसके साथ संलग्न होगी।

विगत निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी में विशेष सावधानियाँ बरते जाने की आवश्यकता है और विशेषकर विखण्डीकरण का कार्य में ज्यादा समय दिया जाना जरूरी है, ताकि त्रुटि की संभावना न रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग का निर्णय है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 के लिए मतदाता सूची की तैयारी का कार्य दो चरणों में किया जाय।

प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग से अर्हता तिथि **01.01.2023** के आधार पर प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका क्षेत्राधीन पड़ने वाले मतदाता सूची में मतदातावार वार्ड अंकित किया जाय अर्थात् प्रत्येक निकाय क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का सर्वे (Field verification) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि वह किस वार्ड के निवासी हैं।

दूसरे चरण में सर्वे के पश्चात आयोग द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उपलब्ध सॉफ्टवेयर डाटावेस से मतदाता सूची को विखण्डीकृत करके उसकी छपाई कराई जाय और तत्पश्चात उसका प्रारूप प्रकाशन कर उस पर दावा/ आपत्ति प्राप्त किया जाय। **सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के विखण्डीकरण संबंधी विभिन्न प्रक्रम (User Manual) पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।**

(v) उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से की जायेगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करने के पूर्व आयोग द्वारा विहित **"प्रपत्र -क"** में विधान सभा की मतदाता सूची से नगरपालिका के वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी इस कार्य हेतु आवश्यक संख्या में कर्मियों

की नियुक्ति करेंगे एवं यह कार्य ससमय सम्पन्न करायेंगे। नियुक्त कर्मी आवंटित वार्ड में जाकर वहाँ स्थानीय नागरिकों की मदद से उस वार्ड की चौहद्दी के अन्दर के मतदाता को **'प्रपत्र-क'** में अंकित करेंगे। इस **`प्रपत्र-क'** के आधार पर ही आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा प्रविष्टि की जायेगी। संबंधित वार्डवार डाटा की प्रविष्टि एवं इसके जाँच के पश्चात ही मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आम जन की जानकारी हेतु आयोग के वेवसाईट पर भी किया जायेगा जिसमें सर्च एवं प्रिन्ट की भी सुविधा रहेगी।**

(vi) उल्लेखनीय है कि दिनांक **27.01.2023** को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की पी.डी.एफ. प्रति सभी जिलों में उपलब्ध है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन शाखा से अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की पी.डी.एफ. प्रति प्राप्त कर निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसके आधार पर निबंधन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-क** में वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन कार्य निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उक्त कार्य के त्रुटिरहित निष्पादन के निमित्त पत्र के साथ **संलग्न मैन्युअल** का अध्ययन संबंधित पदाधिकारी द्वारा अवश्य कर ली जाय।

(ङ) इस प्रकार तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम 9 एवं 12** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निबंधन पदाधिकारी द्वारा संलग्न **प्रपत्र-1 में सूचना** जारी कर निम्नलिखित स्थानों पर आयोग द्वारा दिये गये कार्यक्रम के अनुसार आम सूचना एवं निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाएगा :-

(1) संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का कार्यालय

(2) संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यालय,

(3) नगर निकाय के अंचल कार्यालय, यदि कोई हों, तो वहाँ,

(4) वार्ड क्षेत्र अन्तर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिसके क्षेत्रान्तर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है,

(5) वार्ड क्षेत्रान्तर्गत डाकघर

(6) नगर निकाय बाजार एवं आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहाँ निबंधक पदाधिकारी उचित समझें।

इसके अलावा निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में ढ़ोल पिटवाकर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर सूचना (Notice) चिपकाकर आमजन को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित स्थानों की जानकारी दी जायेगी ताकि आमजन उसका निरीक्षण कर सकें। निबंधन पदाधिकारी द्वारा **नियम - 12** के तहत् एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में **प्रपत्र-1** में सूचना का प्रकाशन एवं **स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी दी जायेगी।**

उक्त विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन किया जाएगा तथा निबंधन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से प्रारुप प्रकाशन कि तिथि को सायं छः बजे तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही चिन्हित स्थानों पर प्रकाशित किये गये मतदाता सूची का प्रारूप वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। **प्रारूप प्रकाशन में इस बात का ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित नगरनिकाय अंतर्गत किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम छुट नहीं जाए। इस आशय का प्रमाण पत्र आयोग के वेबसाईट पर अनिर्वाय रुप से अपलोड करना सुनिश्चित की जाए।**

वार्डवार मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी सर्वसाधारण को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।

(च) ऊपर उप-कण्डिका (ङ) के अनुसार प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दावे अथवा आपत्तियाँ संबंधित वार्ड के **रिवाईजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष** संलग्न **प्रपत्र–2, प्रपत्र–2(A)** अथवा **प्रपत्र–3** में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से **14 दिनों के अन्दर** दे सकता है। प्रपत्र-2 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दावा, **प्रपत्र 2A** में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप एवं **प्रपत्र 3** में मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के विरूद्ध आपत्ति किये जाने का प्रावधान है।

निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाईजिंग अथॉरिटी का वार्डवार नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, कार्यालय का पता (स्थान एवं समय सहित) सम्बंधी सूचना `सूचनापट्ट` पर चस्पा करते हुए इसका प्रचार प्रसार माईकिंग, पम्पलेट, स्थानीय समाचार पत्र तथा कचरा गाड़ी के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उक्त पदाधिकारियों की सूची आयोग को भी उपलब्ध कराई जाएगी एवं आयोग के वेबसाईट पर अपलोड भी किया जाएगा।

(छ) आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की तरह नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 में भी आयोग के वेवसाइट पर मतदाता सूची से संबंधित **ऑनलाईन दावा एवं आपत्ति** प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आयोग के वेवसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाईन दावा/ आपत्ति दे सकेगा। ऑनलाईन दावा/ आपत्ति प्राप्त होते ही आवेदनकर्त्ता को प्राप्ति रसीद एक यूनिक नम्बर के साथ जेनरेट होकर प्राप्त होगी एवं दावा/ आपत्ति संबंधित जिले को दावा/ आपत्ति **'वेब एप्लीकेशन'** के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्राप्त दावा/ आपत्ति का ससमय इनका निष्पादन निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को भेजेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावा/ आपत्ति के निष्पादन की स्थिति का सतत् अनुश्रवण करेंगे। जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी आयोग के स्तर से समन्वय बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(ज) रिवाईजिंग अथॉरिटी एवं निबंधन अधिकारी के समक्ष दिये गये दावे/ आपत्तियों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ संलग्न **प्रपत्र –ग** में संधारित पंजी में की जाएंगी तथा **प्रपत्र–2/प्रपत्र–2(A)/ प्रपत्र–3** के निचले भाग में विहित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद दावा/ आपत्ति कर्त्ता को दी जायेगी। **उक्त कंडिका (छ) में वर्णित ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्तियों को भी इसी पंजी में संधारित किया जायेगा एवं आवेदन का यूनिक नम्बर भी अंकित किया जायेगा। साथ ही निबंधन पदाधिकारी द्वारा ऑफलाईन प्राप्त दावा/आपत्ति संबंधी प्रपत्र एवं संलग्न कागजात को भी आयोग के वेबपोर्टल पर डिजीटाईज कराया जायेगा।**

(झ) रिवाईजिंग अथॉरिटी अपने समक्ष दायर किये गये दावा/ आपत्ति (ऑनलाईन प्राप्त दावा/ आपत्ति सहित) के संबंध में संलग्न **प्रपत्र–4 / प्रपत्र– 5** में दावा/ आपत्ति कर्त्ता को एक सूचना देंगे जिसमें दायर किये गये दावे/ आपत्ति की सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख रहेगा। इसी तरह की सूचना प्रपत्र-5 में उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की गई है। रिवाईजिंग अथॉरिटी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/ आपत्तियों की सुनवाई करेंगे एवं आवश्यक हुआ तो वार्ड के भौगौलिक सीमा का भ्रमण कर इन दावा/ आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। **स्पष्ट किया जाता है कि दावा/आपत्ति कर्त्ता को इस सुनवाई में वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।** अगर कोई दावा/ आपत्ति निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दायर

किया गया हो, तो निबंधन पदाधिकारी द्वारा उस दावा/आपत्ति को संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष निष्पादन हेतु अविलम्ब भेज दिया जायेगा। निर्गत सूचना का तामिला अभिलेख में संधारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ञ) **दावे एवं आपत्तियाँ किस आधार पर दी जायेंगी** – दावे एवं आपत्तियाँ निम्न आधार पर ही दी जा सकेंगी –

(1) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम है, किन्तु विखंडन के पश्चात तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है।

(2) विखंडन में त्रुटियों के कारण एक वार्ड के मतदाता का नाम उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अंकित हो गया हो।

(3) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय नगरपालिका की मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है।

(4) विधान सभा मतदाता सूची में ही निर्वाचक का नाम उसका निवास वार्ड संख्या में न होकर उसी नगर निकाय के अन्य वार्ड में अंकित हो गया है।

(5) मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है।

(6) मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता/पति/लिंग/उम्र/फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।

(7) किसी व्यक्ति का नाम किसी वार्ड विशेष के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से हटाने के लिए।

(8) 01.01.2023 को अठारह वर्ष की आयु पूरी हो रही हो।

(9) क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किन्तु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

अधिनियम की धारा–451 के प्रथम परन्तुक के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विशिष्ट आदेश दिये जाने पर ही नगर निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में वैसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकेगा जिनका नाम तत्समय प्रवृत्त विधान सभा के लिए तैयार मतदाता सूची में नहीं है। सक्षम आदेश प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रवृत्त मतदाता सूची के आधार पर नगर निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही मतदाता सूची में किसी नये व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जायेगा। उक्त उप–कंडिका (1), (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) के लिए आयोग के आदेश की आवश्यकता नहीं है। निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी इसके लिए सक्षम होंगे किन्तु उक्त उप–कंडिका (4) के लिए उन्हें एक वार्ड से नाम हटाने एवं दूसरे वार्ड में नाम जोड़ने संबंधी **दो आवेदन प्राप्त करने होंगे एवं दोनों के संदर्भ में संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी का आदेश पारित करना होगा।**

उक्त उप–कंडिका (8) एवं (9) के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

साथ ही जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो अथवा जो व्यक्ति नगरपालिका के वार्ड विशेष में रहते हों किन्तु उनका नाम विधान सभा की मतदाता सूची में नहीं है तथा मतदाता बनने की योग्यता रखते हों तो उनके नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा `प्रपत्र-2` में प्राप्त किये जायेंगे। **मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दावाकर्त्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में जन्म**

तिथि (आयु) एवं मामूली तौर पर निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे, यथा –

(क) **जन्म तिथि (आयु) का प्रमाण–पत्र** संबंधी कोई एक कागजात संलग्न की जा सकती है –

(i) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र;

(ii) शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो;

(iii) भारतीय पासपोर्ट

(iv) पैन कार्ड

(v) ड्राइविंग लाइसेन्स

(vi) आधार कार्ड

(vii) उपर्युक्त कागजात नहीं रहने की स्थिति में आवेदक के माता-पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा। यदि माता-पिता भी जीवित नहीं हो तो आवेदक संबंधित नगरपालिका के जनप्रतिनिधि द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र।

(ख) **मामूली तौर पर निवास स्थान का प्रमाण–पत्र** संबंधी कोई एक कागजात संलग्न किया जा सकती है –

(i) बैंक/ किसान/ डाकघर का चालू पासबुक;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) भारतीय पासपोर्ट

(iv) ड्राइविंग लाइसेन्स

(v) आयकर निर्धारण आदेश

(vi) आवेदक के नाम से या उसके निकटतम नातेदार जैसे माता-पिता आदि के नाम से पानी/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल;

(vii) आवेदक के नामसे साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से सुपुर्द/ वितरण की गई कोई डाक/ पत्र/ मेल;

(viii) आवेदक या आवेदक के सगा-संबंधी के नाम से खतियान/ Registered deed/ रसीद।

प्रपत्र-2 के साथ यदि साक्ष्य के रूप में **मात्र आधार कार्ड संलग्न** है तथा आधार कार्ड से जन्म तिथि (आयु) एवं मामूली तौर पर निवास स्थान संबंधी प्रमाण यदि स्थापित होते हैं, तो उन्हें भी मान्यता दी जायेगी।

किसी व्यक्ति/आवेदक का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक सूची में तभी जोड़ा जा सकेगा यदि दावाकर्त्ता/आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम से कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड में निवास करता हो।

नगरपालिका निर्वाचन, 2022 में प्रकाशित प्रारुप मतदाता सूची के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति की प्राप्ति के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नगर निकाय के वार्ड की सीमा से सटे उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र–2 में नाम जोड़ने हेतु आवेदन रिवाईजिंग ऑथरिटी/निबंधन पदाधिकारी को समर्पित किया गया। आयोग द्वारा निबंधन पदाधिकारी

को किसी दावा/आपत्ति की स्वीकृति/अस्वीकति के पूर्व नाम, Relative Name आदि के आधार पर आवेदनकर्त्ता के किसी विधानसभा सेनिबंधन के संबंध में Search की सुविधा दी गई है। अतः यदि अपेक्षित हो तो निबंधन पदाधिकारी द्वारा Search Tab द्वारा ऐसे आवेदक के निर्वाचक सूची में प्रविष्टि की जाँच की जा सकती है। विदित हो कि प्रपत्र-2 में दावाकर्त्ता द्वारा किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने एवं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में 180 दिनों में अन्यून निवास करने संबंधी घोषणा की जाती है। अतः निबंधन पदाधिकारी द्वारा उक्त को दृष्टिगत कर बिहार नगरपालिका निर्वाचक नियमावली, 2007 के नियम-25 के अधीन प्राप्त दावा/आपत्ति का नियमानुसार निष्पादन किया जाना है।

(ट) कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें **आवासीय पता बदलने के कारण** एक विशेष वार्ड के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में नाम स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया हो। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि ऐसे मामलों में आवेदक एक वार्ड विशेष की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दे सकता है और यदि वे चाहें तो दूसरे वार्ड, जहाँ वे मतदाता होने का दावा करते हो, कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने हेतु अलग दावा संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर सकते हैं। अर्थात उन्हें दो आवेदन देना होगा, एक वर्त्तमान वार्ड की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के बारे में और एक आवेदन दूसरे वार्ड, जहाँ की मतदाता सूची में वे अपना नाम दर्ज कराना चाहते हों, के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना नाम दर्ज करने के लिए।

(ठ) अगर **भूलवश या अज्ञानतावश** एक वार्ड विशेष से संबंधित दावे या आपत्ति दूसरे वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर दिया गया हो, तो इस परिस्थिति में रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष इस प्रकार के दावे या आपत्तियों को दायर किया गया हो, अविलम्ब उसे निबंधन पदाधिकारी को भेज देंगे जो कि उसे संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के पास निष्पादन हेतु भेजेगा।

(ड) पूर्व के चुनाव में प्रारुप निर्वाचक सूची के विरुद्ध बड़ी संख्या में निर्वाचकों के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित होने से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में परिवाद की सुनवाई हेतु परिवादी को नोटिस का तामिला कराते हुए यदि आवश्यकता हो तो स्थलीय जाँच के पश्चात परिवादी की उपस्थिति में ही नियमानुसार सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर परिवाद का निष्पादन किया जाए। इसके लिए निर्वाचकों से आवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ढ) निबंधन पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर **आम सूचना** के माध्यम से जानकारी दी जायगी कि विभिन्न वार्डों के रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा **किस तिथि, समय, स्थान/स्थानों पर दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई** की जायेगी। रिवाईजिंग अथॉरिटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निबंधन पदाधिकारी द्वारा पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन निश्चित रूप से करें। इस प्रकार सुनवाई के दौरान रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा आवश्यक छान-बीन की जायेगी तथा किसी दावे या आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में अपना आदेश पारित किया जायेगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की सुनवाई के दौरान वकील की सहायता अनुमान्य नहीं है। परंतु आवेदक द्वारा दिये गये साक्ष्य एवं कथन को लिखित रूप से हस्ताक्षर के साथ अभिलेख में संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

दावा/आपत्ति के निष्पादन से संबंधित आदेश फलक को आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिर्वाय है।

(ण) रिवाईजिंग अथॉरिटी **कतिपय मामले, यथा** – ऐसा मतदाता, जो दिनांक 01.01.2023 के पश्चात मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गया हो या उस तिथि के पश्चात जिसकी मृत्यु हो गई हो या जिसका नाम एक ही वार्ड के अन्दर एक से अधिक जगह पर दर्ज हो या जिसका नाम एक से अधिक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित हो गया है, **में स्वप्रेरणा से** भी प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन/ शुद्धिकरण/ विलोपन संबंधी कार्य **विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये कर सकते हैं,** जो निम्नवत् है –

(i) किसी मतदाता की मृत्यु के संबंध में परिजन द्वारा की गई घोषणा (declaration) तथा उनसे विलोपित किये जाने वाले मतदाता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (death certificate) प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) अगर कोई मतदाता नगर निकाय क्षेत्र से अन्यत्र प्रवास करने हेतु चला गया हो अथवा किसी आपराधिक मामले में वारंटी होने के कारण अपने सामान्य निवास स्थान पर छः महीने से अधिक अवधि से नहीं रह रहा हो, तो पूरी जाँच पड़ताल कर वैसे व्यक्तियों का नाम भी मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

पर इस प्रकार का आदेश पारित करने से पहले रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा, यदि ऐसा करना संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति, जिनके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गये हों, को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। **किसी भी निर्वाचक के नाम विलोपन के पूर्व संबंधित निर्वाचक को इस आशय की बावत सूचना (नोटिश) देनी होगी कि मतदाता सूची में नाम विलोपित किये जाने के लिए आक्षेप (स्वप्रेरणा सहित) प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। नोटिस तामिला की प्राप्ति रसीद निश्चित रूप से संधारित किया जाना है।** प्रस्तावित नगरपालिका निर्वाचन में स्वार्थी तत्वों द्वारा सही मतदाताओं का नाम हटाने का प्रयास किया जा सकता है। **विलोपन के संबंध में रिवाईजिंग अथॉरिटी/निबंधन पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य/ अभिलेख के सत्यापन एवं तार्किक आदेश पारित करने के पश्चात ही विलोपन की कार्रवाई की जायेगी।**

(iii) विधान सभा की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टी के कारण किसी वार्ड विशेष के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में यदि एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर अंकित किया गया है तो इस प्रकार के मामले में निबंधन पदाधिकारी/ रिवाईजिंग अथॉरिटी के ध्यान में लाये जाने की स्थिति में यदि यह व्यवहारिक हो सके तो संबंधित मतदाता को नोटिश दिया जायेगा तथा उनसे लिखित स्पष्ट स्थिति प्राप्त की जायेगी कि वे अपना निवास स्थान के अनुसार मतदाता सूची की कौन-सी प्रविष्टि कायम रखना चाहते हैं और तदनुसार मतदाता की संबंधित प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा और शेष प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। पर यदि समयाभाव में मतदाता से सम्पर्क करना संभव नहीं हो सके तो उस स्थिति में एक से अधिक प्रविष्टियों में से जो प्रविष्टि क्रमानुसार सबसे ऊपर में है, की प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा। मान लिया जाय कि मतदाता देवदत्त का नाम नगर निकाय, **''क''** के वार्ड संख्या-3 की मतदाता सूची के क्रमांक 1058, 2035 तथा 2501 पर अंकित है तो ऐसी स्थिति में मतदाता सूची के क्रमांक 1058 की प्रविष्टि बरकरार रहेंगी तथा शेष दो क्रमांक, यथा, 2035 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। परन्तु यदि मतदाता देवदत्त स्वयं क्रमांक 2035 की प्रविष्टि बरकार रखना चाहते हैं तो तदनुसार उनका अनुरोध मान लिया जायेगा और शेष क्रमांक यानी 1058 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जाएँगी। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम उसी वार्ड में एक से अधिक जगह दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा की मतदाता सूची के जिस क्रमांक पर उस मतदाता का नाम है, उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(iv) विधान सभा की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टी के कारण किसी एक मतदाता का नाम यदि एक से अधिक वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो गया है, तो यदि यह व्यवहारिक रूप से संभव हो सके, तो संबंधित मतदाता द्वारा एक घोषणा निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दी जायेगी जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि वे किस वार्ड विशेष के मतदाता के रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तदनुसार उन्हें संबंधित वार्ड के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा और शेष वार्ड की मतदाता सूची में से उनका नाम खारिज कर दिया जायेगा। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम एक से अधिक वार्ड में दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा की मतदाता सूची के अनुसार जिस वार्ड में उस मतदाता का नाम दर्ज है उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(त) ऊपर वर्णित प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रारूप मतदाता सूची में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो उसके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा अपना निर्णय निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा और तदनुसार प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित संशोधन संबंधी तार्किक आदेश (**Reasoned Order**) पारित किया जायेगा।

स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अपने स्तर पर यह महसूस होता हो कि कुछेक मामलों में स्पष्ट विसंगति/त्रुटि परिलक्षित हो रही है तथा उनका परिमार्जन आवश्यक है, तो वे संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर पूरे तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ आयोग को प्रतिवेदन भेजेंगे तथा आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

4. वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने, दावा/आपत्ति दर्ज करने, सूचना देने, आदि के बारे में भिन्न-भिन्न प्रपत्र विहित किये गए हैं, जिसका नमूना प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा और भी कई मामलों (जैसे, मतदाता सूची की प्रविष्टि में शुद्धिकरण, एक से अधिक वार्ड के मतदाता सूची में दर्ज मतदाता को किसी एक विशेष वार्ड के मतदाता सूची में नाम रखने का विकल्प, रिवाईजिंग अथॉरिटी/निबंधन अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची से नाम हटाना, प्रविष्टि में शुद्धिकरण करना आदि) में कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए नियमावली में कोई प्रपत्र विहित नहीं किया गया है। ऐसे मामले में रिवाईजिंग अथॉरिटी अपनी सुविधानुसार सादे कागज में आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार संबंधित मतदाता को इसी प्रकार सादे कागज में भी सूचना दे सकते हैं।

5. **जिला द्वारा विहित प्रपत्रों का मुद्रण स्थानीय तौर पर किया जायेगा और इस प्रकार मुद्रण में जो खर्च आयेगा उसका वहन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावे/आपत्ति करने वाले को विहित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।**

6. अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को पर्याप्त प्रतियों में यथाशीघ्र मुद्रित किया जाएगा और इस प्रकार अंतिम प्रकाशित वार्ड-वार मतदाता सूची की तीन प्रतियाँ संबंधित नगर निकाय के प्रधान कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएँगी।

7. मतदाता सूची की तैयारी तथा उसके प्रारूप एवं अंतिम सूची को मुद्रित कराने में जो खर्च आयेगा, उसका वहन भी संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार मुद्रित प्रारूप/अन्तिम मतदाता सूची की

प्रतियाँ आम जनता को भी बिक्री की जा सकती है। मुद्रित मतदाता सूची का विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित नगर निकाय के खाता में जमा की जाएगी।

8. **मतदाता सूची की तैयारी, उसके प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा या आपत्तियों का निष्पादन, मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन आदि सभी प्रक्रियाए संलग्न समय-सारणी के अनुसार पूरी की जायेंगी।** अनुरोध है कि सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ तद्नुसार सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

9. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** वार्डवार तैयार किये जा रहे मतदाता सूची के कार्य एवं प्राप्त दावा/ आपत्ति के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराने हेतु सतत् पर्यवेक्षण `डैशबोर्ड` माध्यम से करेंगे। अनुश्रवण हेतु **चेकलिस्ट** पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

10. **प्रमंडलीय आयुक्त** प्रमण्डल अधीन सभी जिलों में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 के निमित्त तैयार किये जा रहे मतदाता सूची की तैयारी संबंधी कार्यों के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की स्थिति का सतत् अनुश्रवण आयोग के वेबपोर्टल के माध्यम से करेंगे।

निदेशानुसार अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
06/03/23
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-12/ 2023 - 788 पटना, दिनांक - 6.3.23

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

06/03/23
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-12/ 2023 - 788 पटना, दिनांक - 6.3.23

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/23
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-12/ 2023 - 788 पटना, दिनांक - 6.3.23

प्रतिलिपि, सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

06/03/23
सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-12/ 2023 - 788 पटना, दिनांक - 6.3.23

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/23
सचिव।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2023

मतदाता सूची की तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय–सारणी।

क्रमांक	कार्य का विवरण		अवधि (दिनांक)
1.	अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर बिहार विधान सभा का अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का वार्ड–वार विखण्डीकरण	–	13.03.2023 से 23.03.2023 तक
2.	जिला द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का वार्ड–वार विखण्डीकरण एवं विखंडीकृत मतदाता सूची के डाटाबेस की जाँच	–	24.03.2023 से 28.03.2023 तक
3.	मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार कर मतदाता सूची की प्रारूप प्रति की छपाई	–	31.03.2023 से 03.04.2023 तक
4.	प्रारूप प्रकाशन की तिथि	–	05.04.2023 को
5.	दावा/ आपत्ति की अवधि	–	05.04.2023 से 18.04.2023 तक
6.	दावा आपत्ति निष्पादन एवं तदनुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि	–	06.04.2023 से 24.04.2023 तक
7.	मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार करना एवं अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण	–	25.04.2023 से 02.05.2023
12.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	–	03.05.2023

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u>

प्रपत्र – क

(मतदाता सूची विखंडन हेतु)

जिला का नाम :

नगरपालिका का नाम :

क्रम संख्या	वार्ड संख्या संख्या	मुहल्ला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ भाग संख्या	विधान सभा का मतदाता क्रमांक		कुल मतदाता
				कहाँ से	कहाँ तक	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान :

दिनांक : रिवाईजिंग अथॉरिटी निबंधन पदाधिकारी

D:\Yogesh jee\Matdata suchi

प्रपत्र–1

[देखिये नियम 12(1)]

सूचना

.... के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची
(नगरपालिका का नाम)

एतद् द्वारा उपरोक्त वार्ड का प्रारूप मतदाता सूची को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस सूची में नाम दर्ज करने के लिए सभी दावा प्रपत्र-2 में तथा सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध सभी आपत्तियाँ प्रपत्र-3 में दिनांक .... तक दायर की जा सकेगी।
(तिथि -माह–200)

रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष ऐसे दावे एवं आपत्तियाँ दायर की जा सकती हैं, ... (नाम एवं पदनाम अंकित करें) .... है, जिनका पता .... ।

दावे एवं आपत्तियाँ रिवाईजिंग अथॉरिटी को संबोधित किये जायेंगे तथा या तो इस सूचना में विनिर्दिष्ट रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे या डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जायेंगे ताकि उन्हें दिनांक .... तक प्राप्त हो सके।

स्थान :

दिनांक : निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

[देखिये नियम 12(2)]

.... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी

....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

फोटो

महाशय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। नगरपालिका निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्योरा नीचे दिये गये है :-

मैं #.. पिता/पति .... जो नगरपालिका .... के वार्ड संख्या .... मुहल्ला .... डाक घर .... थाना .... जिला .... का निवासी हूँ;

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा दिनांक 1 जनवरी 2022 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में सामान्यतया $.. (गली/मुहल्ला का नाम) में 180 दिनों से अन्यून दिनों से निवास करता/करती हूँ। मेरे द्वारा किसी अन्य वार्ड में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन के समर्थन में मेरे द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :-

(i)

(ii)

(iii)

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक : दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*दावाकर्त्ता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

पूरा नाम अंकित करें।

$ पूर्ण पता अंकित करें।

*यदि दावाकर्त्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया जाता हो तो उस स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मामले में ततसंबंधी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

दावा की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री .... , जो ....(नगरपालिका का नाम)..........के वार्ड संख्या .... डाक घर ....थाना ....जिला ....

के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दायर दावा की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–2(A)
किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी

....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो... के (नगरपालिका का नाम) वार्ड संख्या .... के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के क्रमांक ....पर ``....................................'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाय ....

``...

....

....

स्थान .... निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

तारीख ....

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी ....जो ....का/की निवासी है, प्रविष्टि की शुद्धि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ ।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

तारीख ....

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

D:\Yogesh jee\Matdata suchi

प्रपत्र–3

[देखिये नियम 12(2)]

मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी

....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ....

महाशय,

मैं उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या .... के लिए प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति करता/करती हूँ। मेरे आपत्ति/आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियाएँ नीचे दी जा रही हैं :-

मैं सूचित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री* ....

जिनका नाम, ... के वार्ड संख्या .... थाना
(नगरपालिका का नाम)

....,की मतदाता सूची के क्रमांक ....पर अंकित है, पर मेरी आपत्ति है।

मेरी आपत्ति का आधार :-

है, जिनके संबंध में मैं इस आपत्ति के साथ निम्नांकित कागजातों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित करता/करती हूँ।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आपत्ति में अंकित ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मतदाता सूची का क्रमांक -
वार्ड संख्या -
नगरपालिका का नाम -
दिनांक -

आपात्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
वर्त्तमान पता -

---

*यहां नाम अंकित करें जैसा कि मतदाता सूची में है।

नोट : कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह झूठ है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, को भा.द.वि. की धारा 182 या/और धारा 199 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 474 अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

....

आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री ...., जो ....
(गली/मुहल्ला का नाम)

वार्ड संख्या .... डाक घर ....थाना ....जिला ....

के निवासी हैं, के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध दायर आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि :

रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

D:\Yogesh jee\Matdata suchi

प्रपत्र– 4

(देखिये नियम 16)

सूचना

सेवा में,

____

____

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपके दावा/आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे .... पर की जायेगी तथा आपको निदेश दिया जाता है
(स्थान का नाम)
कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/श्री* .... पर दावा या आपत्ति करते समय/मकान पर चिपकाकर/निजी तौर पर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र–5

(देखिये नियम 17)

सूचना

सेवा में,

____

वार्ड संख्या- .... नगरपालिका का नाम - ....

चूंकि श्री/श्रीमती/सुश्री* .... वार्ड संख्या .... द्वारा .... नगरपालिका के वार्ड संख्या .... की मतदाता सूची में दर्ज आपके नाम के विरूद्ध .... आधार पर आपत्ति की गई है, अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आपत्ति की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे .... (स्थान का नाम) पर की जायेगी। आपको निदेशित किया जाता है कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों ।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .... को श्री/श्रीमती/सुश्री ** .... पर निजी तौर पर/मकान पर चिपकाकर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसके द्वारा आपत्ति की गई है।

** यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र – ख

नगरपालिका आम निर्वाचन नामावली, 2023 (बिहार)

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या

अनुमंडल : प्रखंड : थाना : डाकघर : पृष्ठ संख्या

क्रमांक विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :	क्रमांक विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :	क्रमांक विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक निर्वाचन पहचान पत्र संख्या निर्वाचक का नाम : पिता/माता/पति का नाम : गृह संख्या : उम्र : लिंग :

नोट : एक पृष्ठ पर कुल 30 नाम अंकित रहेंगे।

प्रपत्र – ग

दावा/आपत्ति की पंजी

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या ....

क्रमांक	तिथि	दावाकर्त्ता/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता	आपत्ति का विवरण	अभ्युक्ति (पारित आदेश का सारांश)
1	2	3	4	5

प्रपत्र – घ

अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना

जिला .... नगरपालिका .... वार्ड संख्या ....

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वार्ड की अन्तिम मतदाता सूची को निम्नांकित स्थानों पर सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाता है :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

स्थान :
दिनांक :

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मतदाता सूची की तैयारी के संदर्भ में निबंधन पदाधिकारियों के लिए चेकलिस्ट

क्र0	विषय	हाँ / नहीं
1.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के संदर्भ में आयोग द्वारा निर्गत निदेश / पत्र एवं बिहार निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत प्रावधानों का सूक्ष्मता से भलीभांति अध्ययन किया गया है।	हाँ / नहीं
2.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नगर निकाय से संबंधित सभी वार्ड के गठन / परिसीमन से संबंधित गजट प्राप्त है।	हाँ / नहीं
3.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी हेतु रिवाईजिंग अथॉरिटी एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है।	हाँ / नहीं
4.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित पदाधिकारी / कर्मी को मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।	हाँ / नहीं
5.	नगर निकाय के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित कार्य से संबद्ध तो नहीं किया गया है।	हाँ / नहीं
6.	मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न पदाधिकारी / कर्मी द्वारा संबंधित वार्ड की चौहद्दी को प्राप्त किया गया है, एवं विगत निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया है।	हाँ / नहीं
7.	मतदाता सूची के वार्डवार विखण्डन हेतु निबंधन पदाधिकारी द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का PDF प्राप्त कर ली गई है।	हाँ / नहीं
8.	सर्वे (Field Verification) के क्रम में प्राधिकृत कर्मी द्वारा संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची की प्रविष्टियों के समक्ष मतदातावार वार्ड संख्या अंकित किया जा रहा है।	हाँ / नहीं
9.	सर्वे पश्चात् चिह्नित मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार विखण्डन का कार्य प्रपत्र–क में तैयार किया जा रहा है।	हाँ / नहीं
10.	प्रपत्र–क में वार्डवार की गई प्रविष्टि का सत्यापन निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।	हाँ / नहीं
11.	सत्यापित प्रपत्र–क के आधार पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के डेटाबेस को विखंडीकृत किया जा रहा है।	हाँ / नहीं
12.	विखण्डन के पश्चात सॉफ्टवेयर द्वारा डाटा की जाँच की गई है।	हाँ / नहीं
12.	विखण्डन के पश्चात् वार्डवार प्राप्त मतदाता सूची का PDF प्राप्त कर मुद्रण किया गया है।	हाँ / नहीं

13.	वार्डवार मुद्रित प्रारूप मतदाता सूची की प्रविष्टियों का मिलान प्रपत्र–क की सत्यापित प्रति से की गई है।	हाँ / नहीं
14.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को प्रपत्र–1 में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना विधिवत् रूप से निर्धारित स्थान पर प्रकाशित की गई है।	हाँ / नहीं
15.	रिवाईजिंग अथॉरिटी को पर्याप्त संख्या में दावा / आपत्ति के संबंधित विहित प्रपत्र (प्रपत्र–2, 2A, 3, 4 एवं 5) की आपूर्ति की गई है।	हाँ / नहीं
16.	मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना को प्रसारित / प्रचारित किया गया है।	हाँ / नहीं
17.	दावा / आपत्ति की प्राप्ति से संबंधित पंजी (प्रपत्र–ग) का संधारण किया जा रहा है।	हाँ / नहीं
18.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावा / आपत्ति का आयोग द्वारा निदेशित रीति एवं निर्धारित समय के अधीन निष्पादन किया गया है।	हाँ / नहीं
19.	निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को अनुपूरक–1 के साथ अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का प्रकाशन (Final Publication) करते हुए प्रपत्र–घ में प्रकाशन की सूचना दी गई है।	हाँ / नहीं

31 नगरपालिका जहाँ निर्वाचन शेष है

क्र0	जिला	नगरपालिका का नाम
1	2	3
1	पटना	नगर परिषद मनेर
2	बक्सर	नगर परिषद डुमरॉव
		नगर पंचायत ईटाढ़ी
3	रोहतास	नगर परिषद बिक्रमगंज (जून 2023)
4	औरंगाबाद	नगर परिषद दाउदनगर (जून 2023)
5	वैशाली	नगर परिषद महनार (जून 2023)
6	नालन्दा	नगर परिषद राजगीर
		नगर परिषद ईसलामपुर
7	नवादा	नगर परिषद हिसुआ
8	गोपालगंज	नगर पंचायत हथुआ
9	मुजफ्फरपुर	नगर परिषद कॉटी
		नगर परिषद मोतीपुर
10	पूर्वी चम्पारण	नगर पंचायत केसरिया (अप्रैल 2023)
		नगर परिषद ढ़ाका (जून 2023)
11	पश्चिम चम्पारण (बेतियाँ)	नगर पंचायत मच्छरगाँवा (योगापट्टी)
12	शिवहर	नगर परषिद शिवहर
13	सीतामढ़ी	नगर पंचायत सुरसंड (जून 2023)
14	दरभंगा	नगर परिषद जाले
		नगर पंचायत घनश्यामपुर
		नगर पंचायत बिरौल
		नगर पंचायत कमतौल अहियारी

क्र0	जिला	नगरपालिका का नाम
1	2	3
15	मधुबनी	नगर निगम मधुबनी
		नगर परिषद झंझारपुर
16	सहरसा	नगर निगम सहरसा
17	किशनगंज	नगर पंचायत पौआखाली
18	मुंगेर	नगर परिषद हवेली खउडगपुर
		नगर पंचायत संग्रामपुर
		नगर पंचायत असरगंज
19	लखीसराय	नगर परिषद बड़हिया
20	जमुई	नगर परिषद झाझा
21	बांका	नगर परिषद बांका (जून 2023)

मतदान प्रत्यादिष्ट से संबंधित रिक्ति

क्र0	जिला	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद
1	3	4	5	6
1	पटना	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	28	वार्ड पार्षद
2		नगर परिषद, मसौढ़ी	23	वार्ड पार्षद
3	भोजपुर (आरा)	नगर पंचायत गड़हनी	9	वार्ड पार्षद
4	नालन्दा	नगर पंचायत सिलाव	3	वार्ड पार्षद
5	गया	नगर परिषद बोधगया	32	वार्ड पार्षद
6		नगर निगम गया	15	वार्ड पार्षद
7	नवादा	नगर परिषद नवादा	42	वार्ड पार्षद
8	सारण	नगर पंचायत मशरख	3	वार्ड पार्षद
9	सिवान	नगर पंचायत बडहरिया	5	वार्ड पार्षद
10	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत बरूराज	9	वार्ड पार्षद
11	पश्चिम चम्पारण (बेतियाँ)	नगर परिषद, नरकटियागंज		मुख्य पार्षद
12	समस्तीपुर	नगर परिषद दलसिंहसराय	11	वार्ड पार्षद
13		नगर परिषद ताजपुर		उप मुख्य पार्षद
14	सहरसा	नगर पंचायत बनगाँव	3	वार्ड पार्षद
15	पूर्णियाँ	नगर पंचायत रूपौली	6	वार्ड पार्षद
16		नगर पंचायत ज्ञानकीनगर	13	वार्ड पार्षद
17	अररिया	नगर पंचायत नरपतगंज	10	वार्ड पार्षद
18	खगड़िया	नगर परिषद खगड़िया	11	वार्ड पार्षद
19	भागलपुर	नगर पंचायत, पीरपैंती	3	वार्ड पार्षद

त्याग पत्र के कारण रिक्त पद

क्र0	जिला	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद
1	3	4	5	6
1	पटना	पटना नगर निगम	58	वार्ड पार्षद
2	गोपालगंज	नगर परिषद गोपालगंज	11	वार्ड पार्षद
3	सुपौल	नगर पंचायत वीरपुर	7	वार्ड पार्षद
4	लखीसराय	नगर परिषद लखीसराय	13	वार्ड पार्षद
5	गया	नगर निगम गया	26	वार्ड पार्षद
6	सीतामढ़ी	नगर निगम सीतामढ़ी	38	वार्ड पार्षद